कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 300/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना- बरदह: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 12.08.2025 को वादी मुकदमा द्वारा था स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 4.8.25 को रात मे 11.00 बजे के लगभग मेरी नाबालिक बेटी को विपक्षी शिवम यादव पुत्र पप्पू यादव बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/25 धारा 137(2)/87 BNS बनाम शिवम यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 14.08.25 को अपहृता की बरामदगी कर ली गयी है। अपहृता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 21.08.25 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धि अभियुक्त शिवम यादव उपरोक्त को चौकी मोड़ से समय 12.45 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- शिवम यादव पुत्र पप्पू यादव ग्राम खजुरा थाना बरदह, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 242/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 मनीष सिंह थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 बाल्मिकी निषाद थाना बरदह, आजमगढ़

02. थाना- मेंहनगरः किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 08.06.25 को वादी मुकदमा थाना मेहनगर जिला आजमगढ कि तहरीरी सूचना कि मेरी पुत्री को दिनांक 26/5/25 को विपक्षी दीपक पुत्र शिवचन्द उर्फ पप्पू राम निवासी कुढापार थाना मेहनगर आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया है बहुत जगह तलाश किया गया कही कुछ पता नही चला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम दीपक पुत्र शिवचन्द उर्फ पप्पू राम निवासी कुढापार थाना मेहनगर आजमगढ़ पंजीकृत कर प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 20.08.25 को उ0नि0 पवन कुमार सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक पुत्र शिवचन्द उर्फ पप्पू नि0 ग्राम कूढापार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को देवईत बाजार के पास थाना मेंहनगर से समय 20.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- दीपक पुत्र शिवचन्द उर्फ पप्पू नि0 ग्राम कूढापार थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 288/25 धारा 137(2)/87/64 BNS व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 पवन कुमार सिह मय हमराह का0 नीरज कुमार म0का0 रोशनी बोस थाना मेंहनगर आजमगढ़।

03.थाना- बरदह: मारपीट व छिनैती के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक-19-08-2025 को आवेदक रवि राजभर पुत्र विनोद राजभर ग्राम-इसहाकपुर, थाना- बरदह, जिला-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक- 19.08.2025 को दिन में लगभग 11:30 बजे मै व मेरे दादा रामअवध राजभर पुत्र जगबीर राजभर मोटर साईकिल से अपनी दुकान शिवम बिल्डिंग मैटेरियल लसड़ाखुर्द से घर वापस आ रहे थे कि अरकम के घर के पास पहले से ही मौजूद अरकम पुत्र अलाउद्दीन, फैज पुत्र आलमगीर, इमरान पुत्र हकिमुद्दीन, लियाकत अली पुत्र बारी, अयाज पुत्र अशफाक व कुछ अज्ञात जो मनबढ़ एवं दबंग किस्म के हैं मेरे दादा जी की गाड़ी को रोकते हुए यह कहा गया कि तुम ग्रामसभा की जाँच करवा रहे हों कहते हुए अरकम व फैज द्वारा मुझे असलहा सटाते हुए जान से मारने के लिए ललकारा तत्पश्चात चाकू हथौड़ी व राड-डण्डे लेकर उपरोक्त लोगों द्वारा प्रार्थी के दादा पर हमला बोल दिया गया। मै अपनी गाड़ी फेंकते हुए, चिल्लाते हुए भागा तो गाँव के चन्द्रिका राजभर पुत्र रामधारी मेरे दादा जी को बचाने के उद्देश्य से दौड़े तो उनको भी उपरोक्त लोगों ने मारकर घायल कर दिया तथा मेरे दादा जी के जेब में रखा 20,000/ बीस हजार रूपये व मोबाइल छिनकर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/25 धारा 191(2),191(3),115(2), 118(1), 352,351(3),126(2),304,131,317(2) BNS बनाम अरकम उपरोक्त आदि 05 नफर व अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 21.08.25 को उ0नि0 उमाशंकर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरकम पुत्र अलाउद्दीन ग्राम इशहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को फतुही कुम्भ चौराहा से समय 06.25 बजे गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से छिने गये पैसे मे से 4,000/- रुपया अभियुक्त के पास से बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अरकम पुत्र अलाउद्दीन ग्राम इशहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1- छिनैती के रुपये में से अभियुक्त के कब्जे से उसके हिस्से का 4000/- रुपया बरामद

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 253/25 धारा 191(2),191(3),115(2),118(1),352,351(3),126(2),304, 131,317(2), 317(2) BNS

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमाशंकर सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. का0 त्रिलोक नाथ पाण्डेय थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. का0 सुनील सिंह के थाना बरदह जनपद आजमगढ़

04.थाना गम्भीरपुरः चोरी के सामान (मोटरसाइकिल) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.01.2025 को वादी श्री सतीश गुप्ता पुत्र हरिलाल गुप्ता निवासी ग्राम गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 25.04.24 को को वादी अपनी मोटरसाईकिल होण्डा साईन UP50U7762 से आवश्यक कार्य हेतु आजमगढ़ गया था वापस आते समय मोहम्मदपुर बाजार सदाफल तिराहा से किसी अज्ञात द्वारा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में दिया था जिसके आधार पर मु0अ0सं0 29/2025 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात आनलाईन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.08.2025 को उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप मय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 25.4.24 को मोहम्मदपुर बाजार सदाफल तिराहा के पास से मो0सा0 सं0 UP 50 U 7762 होन्डा साईन चोरी हुई थी उसके पार्टस को एक व्यक्ति बेचने की फिराक मे लेकर लालगंज की तरफ जा रहा है , इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर एक व्यक्ति विनीत कुमार उर्फ विशाल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बनावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ व उम्र करीब 23 वर्ष को 02 अदद मोटर साईकिल का पहिया , 1 अदद मडगार्ड, 1 अदद ब्रेक ड्रम, 1 अदद वाईजर , 2 अदद पहिया बांधने का नट बोल्ट के साथ पकड लिया गया ।अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मैने दिनांक 25.4.24 को मोहम्मदपुर बाजार सदाफल तिराहा के पास से मो0 सा0 सं0 UP 50 U 7762 होन्डा साईन चोरी किया है। मो0 सा0 सं0 UP 50 U 7762 के चोरी होने के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 29/25 धारा 379 भा0द0वि0 का अभियोग दिनांक 26.1.2025 को वादी सतीश गुप्ता पुत्र स्व0 हरीलाल निवासी ग्राम गंभीरपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त विनीत कुमार उर्फ विशाल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बनावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ को उसके जुर्म धारा 379/411 भा0द0वि0 के अपराध से अवगत कराते हुए समय करीब 8.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-विनीत कुमार उर्फ विशाल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम बनावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 29/2025 धारा 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः—

1-मु0अ0सं0 338/24 धारा -303(2),317(2) बीएनएस

2-मु0अ0सं0 141/25 धारा - 303(2),317(2) बीएनएस

बरामदगी का विवण—

1-02 अदद मोटर साईकिल का पहिया , 1 अदद मडगार्ड, 1 अदद ब्रेक ड्रम, 1 अदद वाईजर , 2 अदद पहिया बांधने का नट बोल्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, का0 अभिषेक यादव, का0 अमित यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

05. थाना तरवा: अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोटरसाइकिल को एमवी एक्ट के तहत सीज।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 20.08.2025 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह द्वारा चेकिंग ग्राम रसडा से एक व्यक्ति अरूण यादव पुत्र बेचू यादव निवासी भुवालपुर थाना तरवां जि0 आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को एक अदद रिवाल्वर .38 बोर को समय 18.57 बजें पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के वाहन को 207 MV ACT में सीज किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 -222/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 -222/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- एक अदद रिवाल्वर .38 बोर तथा एक हीरो ग्लैमर रेड ब्लैक कलर रजि0नं0 UP50BU7651

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 अजय यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. का0 हर्षित यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.08.2025, जनपद आजमगढ़
*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना देवगाव में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 08.06.2008 को वादी मुकदमा तत्कालीन प्र0नि0 राम कृपाल भारती थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राम औतार राजभर निवासी बसही लहुआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0- 908/2008 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र राम औतार राजभर निवासी बसही लहुआ थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास से व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 21.08.2025, जनपद आजमगढ़
*"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 9 माह के कारावास से दण्डित किया गया।
थाना सरायमीर: अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को 09 माह के कारावास से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 18.12.2022 को वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 हृदयानन्द पाठक थाने पर लिखित तहरीर दी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद अवैध कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 267/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 21.08.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 9 माह के कारावास* से दण्डित किया गया।